न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :– **हेमराज गुर्जर (आरएएस)**

प्रकरण सख्या:–62 / 2024 **दायर दिनांक:–21.10.2024**

जीसीएमएस नं. 2024 / 460

हिमांशुडागुर उम्र 21 साल पुत्र श्री सोहन सिंह जाति जाट निवासी ढिण्ढोरा तहसील सूरौठ जिला करौली

————प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली राज0

———अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थानभू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–1.श्री देवीसिंह वकील प्रार्थी
2.पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार सूरौठ

निर्णय

दिनांक 19-11-24

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा न0 2542 रकबा 0.23 है0 नहरी कुल किता 1 कुल रकबा 0.23 है0 भूमि वाके ग्राम ढिण्ढोरा तहसील सूरौठ में स्थित है, जिसका नवीन खाता संख्या 40 जमाबंदी संवत 2071 से 2074 जमाबंदी संवत 2077 में प्रार्थी का नाम आकाश पुत्र सोहनसिंह नाबालिग सरंक्षक पिता सोहनसिंह बहिस्सा पूर्ण जाति जाट सा.देह के नाम से दर्ज है।

आरजी खसरा न0 3022 रकबा 0.15 है0 नहरी–1 खसरा न0 3023 रकबा 0.1 है0 नहरी कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 है0 भूमि ग्राम ढिण्ढोरा तहसील सूरौठ जिला करौली में स्थित है जिसका नवीन खाता संख्या 39 जमाबंदी संवत 2071 से 2074 संवत 2077 में प्रार्थी का नाम आकाश पु[illegible] पिता सोहन सिंह जाति जाट हिस्सा पूर्ण सा. देह नाम [illegible] है।

भूमि मुतजिक्रा मद न0 1 व 2 प्रार्थी [illegible] आरजीयात को मौके पर काबिज होकर प्रत्येक कृषि वर्ष में काश्त कर रहा है, प्रा[illegible] की खातेदारी में नाम के आगे नाबालिग पिता सोहन सिंह दर्ज हो रहा है। प्रार्थी इस समय 21 साल का हो चुका है। मेरे नाम के आगे से नाबालिग शब्द को कानूनन हटाया जाना आवश्यक है।

भूमि मुतजिक्रा मद न0 1 व 2 में दर्ज आरजीयात नववीन खाता संख्या 40 व 39 में प्रार्थी के नाबालिगी में खातेदारी में आकाश पुत्र सोहनसिंह नाबालिग संरक्षक पिता सोहन

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:18:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सिंह जाति जाट सा देह बचपन में दर्ज हो गया था जो कि कतई गलत नाम दर्ज हो गया है। प्रार्थी का सही नाम हिमांशु डागुर पुत्र श्री सोहन सिंह जाति जाट नि0 ढिण्ढोरा तहसील सूरौठ जिला करौली है जो प्रार्थी के समस्त शैक्षणिक दस्तावेज, अंक तालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज0 वर्ष 2020 में हिमांशु डागुर पुत्र सोहनसिंह दर्ज है, व आधार कार्ड, जन आधार कार्ड एवम गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र साधारण सधिकार प्रकाशित जिल्द 76 भाद्र 28, गुरूवार शाके 1946 सितम्बर 19, 2024 न0 25 आदि समस्त दस्तावेज में हिमांशु डागुर पुत्र श्री सोहनसिंह नि0 ढिण्ढोरा तहसील सूरौठ जिला करौली राज0 दर्ज हो रहा है प्रार्थी का गांव में अन्य समस्त जगह बोलता नाम हिमांशु डागुर पुत्र सोहन सिंह जाति जाट के नाम से ही जानते है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी आदि में नाबलिग में जो गलत नाम आकाश पुत्र सोहन सिंह जाति जाट दर्ज हो रहा है। उसे हजफ कर सही नाम शेक्षणिक एवम अन्य दस्तावेजात एवम गजट नोटिफिकेशन में सही नाम हिमांशु डागुर पुत्र श्री सोहनसिंह जाति जाट सा. देह एवम संरक्षक पिता सोहनसिंह को न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवम न्याय संगत है।

प्रार्थी के अलावा ग्राम ढिण्ढोरा तहसील सूरौठ में हिमांशु डागुर पुत्र श्री सोहनसिंह जाति जाट नाम से अन्य कोई व्यक्ति नहीं है।

प्रार्थी दिनांक 29.09.2024 को पटवारी हल्का ढिण्ढोरा तहसील सूरोठ के पास नाबालिगी मे भूलवश गलत नाम आकाश पुत्र सोहनसिंह सरंक्षक पिता सोहन सिह जाति जाट का सही नाम हिमांशु डागुर पुत्र श्री सोहनसिंह जाति जाट सा देह कराने गया तो पटवारी हल्का ने सक्षम अदालत से सही नाम दुरूस्ती का आदेश लाने के लिये कह दिया। इसलिये प्रार्थना पत्र दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड हाल जमाबंदी संवत 2071 से 2074 नवीन खाता संख्या 40 व 39 में आकाश पुत्र सोहन सिंह नाबालिग संरक्षक सोहन सिंह जाति जाट सा. देह को हजफ कर शैक्षणिक दस्तावेज अंक तालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज0 वर्ष 2020 में हिमांशु डागुर पुत्र सोहनसिंह दर्ज है, व आधार कार्ड, जन आधार कार्ड एवम गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र साधारण सधिकार प्रकाशित जिल्द 76 भाद्र 28, गुरूवार शाके 1946 सितम्बर 19, 2024 न0 25 आदि समस्त दस्तावेज में हिमांशु डागुर पुत्र श्री सोहनसिंह नि0 ढिण्ढोरा तहसील सूरौठ जिला क[illegible] की दुरूस्त कर समस्त रिकॉर्ड जमाबंदी में अमल दरामद के आदेश प्रदान [illegible]

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर [illegible] तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ के द्वारा पत्रांक [illegible]5 दिनांक 23.10.2024 जबाब न्यायालय हाजा में पेश हुआ जो निम्नानुसार है:–

1. मु.न. 62 / 2024 / दावा / 136 / ग्राम ढिंढोरा हिमांशु बनाम तहसीलदार सूरौठ माननीय न्यायालय उपखण्ड हिण्डोन जिला करौली में वाद विचार अधीन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:18:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

2. मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम ढिंढोरा जमाबंदी स्थायी ऑनलाइन 2077 की खाता संख्या 39 के खसरा न0 3022 रकबा 0.15 है0 किस्म नहरी–1 तथा खसरा न0 3023 रकबा 0.14 है0 किस्म नहरी–1 तथा खाता संख्या 40 के खसरा न0 2542 रकबा 0.23 है0 किस्म नहरी–1 नाबालिग आकाश पुत्र सोहन सिंह जाति जाट सा. देह रिकॉर्ड दर्ज है तथा मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है।

3. ग्राम ढिंढोरा के नामंतकरण संख्या 2154 तथा 2155 विक्रय पत्र दिनांक 05.04.2023 से आकाश पुत्र सोहन सिंह जाति जाट नाबालिग सरंक्षक पिता सोहन सिंह स्वीकार हुआ है जो मुताबिक विक्रय पत्र सही है न कि किसी राजस्व कर्मी के सहवन से।

4. आवेदक स्वयं का नाम आकाश बोलता नाम बताता है। आवेदक के द्वारा मौके पर पेश आधार कार्ड संख्या 924315168990 में दर्ज नाम तथा प्रमाण पत्र अंकतालिका माध्यमिक परीक्षा 2020 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज. अजमेर में दर्ज नाम हिमांशु डागुर पुत्र सोहनसिंह जाति जाट सा. देह दर्ज है। तथा राजस्थान राजपत्र साधारण साधिकार प्रकाशित अंक 25 जिल्द 76 माह 28 के अनुसार आकाश पुत्र सोहनसिंह तथा हिमांशु पुत्र सोहनसिंह दोनो एक ही नाम होना बताता है।

5. प्रार्थी द्वारा मौके पर पेश आधार कार्ड तथा मा.शि. बोर्ड की अंकतालिका में दर्ज जन्म तिथि 21.08.2003 के अनुसार प्रार्थी की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है प्रार्थी बालिग हो चुका है।

6. प्रार्थी उक्त खातों में आधार कार्ड एवं अंकतालिका दर्ज नाम तथा राजस्थान राजस्व राजपत्र साधारण प्रकाशित गजट नोटिफिकेश के आधार मानते हुए नाबालिग आकाश पुत्र सोहनसिंह के स्थान पर हिमांशु पुत्र सोहनसिंह दर्ज करवाने चाहता है।

जबाव शामिल पत्रावली किया गया।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 40, जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 39 वाके ग्राम ढिण्ढोरा तहसील सूरौठ, गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र साधारण सधिकार प्रकाशित जिल्द 76 भाद्र 28, गुरूवार शाके 1946 सितम्बर 19, 2024 न0 25, आधार कार्ड, अंक तालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज0 वर्ष 2020 की प्रति पेश की गई है।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड हाल जमाबंदी संवत 2071 से 2074 नवीन खाता संख्या 40 व 39 में आकाश पुत्र सोहन सिह नाबालिग संरक्षक सोहन सिंह जाति जाट सा. देह को हजफ कर हिमांशु पुत्र सोहनसिंह दर्ज किया जावे। एवं पैरोकार सरकार ने अपने बहस कथन में कहा कि प्रार्थी उक्त खातों में आधार कार्ड एवं अंकतालिका दर्ज नाम तथा राजस्थान राजस्व राजपत्र

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:18:43 IST
Reason: SelfAttested

धारण प्रकाशित गजट नोटिफिकेश के आधार मानते हुए नाबालिग आकाश पुत्र सोहनसिंह स्थान पर हिमांशु पुत्र सोहनसिंह दर्ज करने बाबत जवाब पेश किया है।

वकील प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड में वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत स्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी संवत 2071-74 खाता संख्या 40, जमाबन्दी संवत 2071-74 खाता संख्या 39 वाके ग्राम ढिण्ढोरा तहसील सूरौठ, में प्रार्थी का नाम नाबालिग आकाश पुत्र सोहनसिंह सरंक्षक पिता सोहनसिंह हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र साधारण सधिकार प्रकाशित जिल्द 76 भाद्र 28, गुरुवार शाके 1946 सितम्बर 19, 2024 न0 25 एवं आधार कार्ड, अंक तालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज0 वर्ष 2020 तथा तहसीलदार सूरौठ की रिपोर्ट एवं उपलब्ध दस्तावेज के आधार नकल राजस्व रिकॉर्ड हाल जमाबंदी संवत 2071 से 2074 नवीन खाता संख्या 40 व 39 वाके ग्राम ढिण्ढोरा तहसील सूरौठ में आकाश पुत्र सोहन सिंह नाबालिग संरक्षक सोहन सिंह जाति जाट सा. देह को शुद्ध किया जाकर हिमांशु डागुर पुत्र सोहनसिंह दर्ज प्रार्थी के हक में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा जमाबंदी संवत 2071 से 2074 नवीन खाता संख्या 40 व 39 वाके ग्राम ढिण्ढोरा तहसील सूरौठ में नाबालिग आकाश पुत्र सोहनसिंह सरंक्षक पिता सोहनसिंह के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में हिमांशु डागुर पुत्र सोहन सिंह किया जाता है, साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में उक्त दुरूस्ती का अमल करने हेतु पृथक से तहसीलदार सूरौठ को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19-11-24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 19/11/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:18:43 IST
Reason: SelfAttested